



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938

No. 167]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/VAISAKHA 9, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

फा. सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015.—खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, को धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित उनके द्वारा सभांध्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जब राजपत्र की प्रतियां जिनमें प्रारूप विनियम प्रकाशित हुए हो आम जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 या ईमेल-regulation@fssai.gov.in को भेजे जा सकेंगे ;

आक्षेप या सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए हों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में,

(क) खाद्यान से संबंधित विनियम 2.4.6 में, खण्ड 15 के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“16 अप्रसंस्कृत साबुत कच्ची दाले (सीधे मानव उपभोग के लिए नहीं):

बाह्य द्रव्य (बाहरी द्रव्य) के लिए सीमाएँ भार द्वारा अधिकतम 3.0 प्रतिशत होगी जिसमें से अधिकतम 0.5 प्रतिशत भार द्वारा अकार्बनिक द्रव्य और पशु से उत्पन्न अशुद्धियाँ होगी।

इसके अतिरिक्त अप्रसंस्कृत साबुत कच्ची दालें इस विनियम में निर्दिष्ट अन्य मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी।”

(ख) विनियम 2.9 में, केसर से संबंधित उपविनियम 2.9.17 में, मद (VI) के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(VI) शुष्क भार के अनुसार जल में विलेयता भार के अनुसार 65.0 प्रति शत से अनधिक”

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यापालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./49]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:-

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई° पीएएन-अधि°/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा.सं.पी°15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;

- (ix) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015 और
- (xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2016

F. No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published, as required under sub-section (1) of section 92, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette in which draft regulations are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or send it to the e-mail regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulation within the period so specified shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. **Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011,
(a) in regulation 2.4.6 relating to food grains, after clause 15, the following clause shall be inserted, namely:-

“16. UNPROCESSED WHOLE RAW PULSES (not for direct human consumption):

The limits for foreign matter (extraneous matter) shall be maximum 3.0 per cent by weight of which the maximum 0.5 per cent by weight may be the inorganic matter and impurities of animal origin.

In addition, unprocessed whole raw pulse shall conform to the requirements of other standards referred to in this regulation.”

(b) in regulation 2.9, in sub-regulation 2.9.17 relating to “Saffron (Kesar)” for item (vi) , the following shall be substituted, namely:-

“(vi) Solubility in cold water on dry weight basis Not more than 65.0 per cent by weight.”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./49]

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:-

- (i) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;
- (ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;
- (iii) F.No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;
- (iv) F.No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;
- (v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;
- (vi) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;
- (vii) F.No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (viii) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (ix) F.No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (x) F.No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (xi) F.No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015 and
- (xii) F.No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI- 2013, dated 11th January, 2016.